BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 12 अगस्त 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को 02 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त रफीक मलिक पुत्र सुल्तान निवासी पसौण्डा थाना सहिबाबाद जनपद गाजियाबाद द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अवैध कार्य कर समाज में भय एवं आतंक फैलाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 03.05.2022 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 396/2022 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 11.10.2022 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 10.08.2024 को न्यायाधीश श्री विनित चौधरी (मा0 न्यायालय एडीजे-08/स्पेशल गैंगस्टर एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रफीक मलिक को 02 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री योगेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

अभियुक्त रफीक मलिक का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 05/22 धारा 379,411 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 24/22 धारा 392 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 79/22 धारा 413,414 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 75/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं- 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

मीडिया सेल बुलन्दशहर